

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पाति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते की स्वप्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज़:- (इनमें से कोई एक)

- | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| 1. <input type="checkbox"/> | उस पते पर पानी/बिजली/गैस क नैकेशन बिल (कम से कम 1 वर्ष का) | 2. <input type="checkbox"/> | आधार कार्ड |
| 3. <input type="checkbox"/> | राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक | 4. <input type="checkbox"/> | भरतीय पासपोर्ट |
| 5. <input type="checkbox"/> | राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है | | |
| 6. <input type="checkbox"/> | रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) | | |
| 7. <input type="checkbox"/> | रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) | | |

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज़:-

(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक)

चलित

दृष्टि

मूक-बधिर

यदि कोई और हो (वर्णन करें)

दिव्यांगता का प्रतिशत

%

प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएं)

हां

नहीं

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं और जिनके साथ में वर्तमान में रह रहा हूँ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परिवार के सदस्य का नाम: _____ आवेदक के साथ संबंध _____

उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं: _____

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, --

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है:-- _____ ग्राम/शहर
जिला _____ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र _____

(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8 (क) में दिए गए पते वाले स्थान में _____ (मास और वर्ष का वर्णन करें) से मामूली तौर से निवासी हूँ।

(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iv) मेरे पास ऊपर 7 ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु सबूत के समर्थनमें _____ (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।

(v) मुझे जान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे जान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख: _____

स्थान: _____ आवेदन के हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अभिगम्यता अनुदेश:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंध के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमत्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके / उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पणी-

* विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।

^ उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।

उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गी, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य हैं, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत दस्तावेज नहीं हैं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदभिहित करेगा।

✗

आवेदन के लिए स्वीकृति / रसीद

✗

अभिस्वीकृति संख्या _____ तारीख _____

श्री/श्रीमती/ सुश्री _____ का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्रास्तिथि जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

घोषणा प्रपत्र

(नए निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए फॉर्म 6/राज्य के बाहर से स्थानान्तरण के लिए फॉर्म 8 के साथ जमा किया जाना है।)

आवेदक का नाम:

मोबाइल नम्बर:

पता:

पिता/अभिभावक का नाम	
पिता/अभिभावक का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	
माता का नाम	
माता का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	
पति/पत्नी का नाम	
पति/पत्नी का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	

अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण (यदि उपलब्ध हो)	उस रिश्तेदार का विवरण, जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है, अन्तिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार				
निर्वाचक का नाम:	नाम:				
इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)				
रिश्तेदार का नाम:	रिश्तेदार का नाम:				
रिश्ते का नाम:	रिश्ते का नाम:				
जिला:	जिला:				
राज्य:	राज्य:				
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:				
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	भाग संख्या	क्रम संख्या	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	भाग संख्या	क्रम संख्या

(1) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।

(2) मैं फॉर्म 6 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है।

या

मैं स्थानान्तरण पर फॉर्म 8 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

(3) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों, दण्डनीय अपराध होगा।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/बाये हाथ के अंगूठे का निशान तारीख सहित

बीएलओ की घोषणा: मैंने उपरोक्त विवरण का सत्यापन अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली से कर लिया है।

बीएलओ के हस्ताक्षर

बीएलओ का नाम और फोन नम्बर

घोषणा प्रपत्र के लिये सूचना पत्र

आवेदक <https://voters.eci.gov.in/> पर पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं और घोषणा प्रपत्र में विवरण प्रदान कर सकते हैं। सहायता के लिए, आवेदक संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। ईआरओ उन आवेदकों को नोटिस जारी करेगा जिनकी पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली में घोषणा प्रपत्र में दिया गया विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे:

- यदि जन्म 01.07.1987 से पूर्व भारत में हुआ है
 - नीचे दी गयी सूची में से स्वयं की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज़ उपलब्ध करवायें।
 - यदि जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के मध्य भारत में हुआ है
 - नीचे दी गयी सूची में से स्वयं की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज़ उपलब्ध करवायें।
 - नीचे दी गयी सूची में से पिता या माता की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज़ उपलब्ध करवायें।
 - यदि जन्म 02.12.2004 के पश्चात् भारत में हुआ है
 - नीचे दी गयी सूची में से स्वयं की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज़ उपलब्ध करवायें।
 - नीचे दी गयी सूची में से पिता की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज़ उपलब्ध करवायें।
 - नीचे दी गयी सूची में से माता की जन्म तारीख और/या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज़ उपलब्ध करवायें।
 - यदि कोई पिता या माता भारतीय नहीं है, तो आपके जन्म के समय पर उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति उपलब्ध करवायें।
 - यदि जन्म भारत से बाहर हुआ है (विदेश में भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म रजिस्ट्रीकरण का सबूत संलग्न कीजिए),
 - यदि भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा अर्जित की है (नागरिकता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए)
- दस्तावेजों को इंगित करने वाली (निःशेषकारी नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लिखित किया गया है, स्वयं, पिता और माता के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले पृथक् स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज़):
1. किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र/पेंशन संदाय आदेश।
 2. भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/ पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज़।
 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
 4. पासपोर्ट
 5. मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षिक प्रमाणपत्र
 6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
 7. वन अधिकार प्रमाणपत्र
 8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व./अनु. जाति/अनु. जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाणपत्र
 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो)
 - 10.राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
 - 11.सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/गृह आवंटन प्रमाणपत्र
 - 12.आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक-ग) के तहत जारी निर्देश लागू होंगे।
 13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश।